तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4409/2006/जयपुर** **छीतर व अन्य बनाम तारा चन्द व अन्य**	
21-1-2020	**एकल–पीठ** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री हंगामी लाल अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री जे.के.पारीक अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश दिनांक 12–12–05 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं। 2– आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1नियम 10 जाब्ता दीवानी को स्वीकार कर वाद में पक्षकार बनाने के आदेश पारित किये हैं। 3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायालय को यह देखना चाहिये था कि क्रेतागण जिनको पक्षकार बनाने के आदेश दिये गये हैं उनकी कोई दरख्वास्त न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है बल्कि विक्रेतागण ने उन्हें पक्षकार बनाने हेतु दरख्वास्त पेश की है। प्रकरण में तनकीयात कायम होकर दोनों पक्षकारान की शहादत पूर्ण हो चुकी है और मुकदमा निर्णय पर था। इसलिये प्रतिवादीगण ने मुकदमा को देरीना करने की नियत से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/4409/2006/जयपुर</u>** **छीतर व अन्य बनाम तारा चन्द व अन्य**	
	जाब्ता दीवानी पेश किया है। इसलिये आक्षेपित आदेश निरस्त योग्य है। 5- जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस बताया कि प्रकरण में अप्रार्थी खरीददारान का हित निहित मानते हुये उन्हें पक्षकार बनाया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। खरीददारान का वादग्रस्त आराजी में प्रत्यक्ष रूप से हित निहित है। भूमि क्रय के बाद खरीददारान के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुका है। इसलिये निगरानी खारिज की जावे। 6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7- विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण जिनके द्वारा वादग्रस्त आराजी क्रय की गई है और जिनके पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुके है,उनका वादग्रस्त आराजी में प्रत्यक्ष रूप से हित निहित है। प्रकरण में अप्रार्थीगण का हित निहित मानते हुये उन्हें पक्षकार बनाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017(सप्ली.) सिविल कोर्ट केसेज756 पंकजभाई,रमेश भाई जलावडिया बनाम जेठा भाई,काला भाई जलावडिया में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि- Civil Procedure Code, 1908, O.1 R.10 : Impleading of a party- Court has can add any person as a party at any stage of the proceedings, if the person whose presence is necessary in order to enable the Court to effectively and completely adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit - Avoidance of multiplicity of proceedings is also one of the objects of the said provision. Civil Procedure Code, 1908, O.1 R.19 - Impleladding of a party- Court has wide discretion to deal with a situation which may result in prejudicing the interests of the affected party if not impleaded in the suit, and where the impleadment of said party is	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/4409/2006/जयपुर** **छीतर व अन्य बनाम तारा चन्द व अन्य**	
	necessary and vital for the decision of suit. प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाने के जो आदेश पारित किया हैं उसमें हम निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाने से प्रार्थी हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। पक्षकारान द्वारा अपना अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखने पर ही स्थिति साफ हो सकती है और न्यायालय को सही नतीजे पर पहुंचने में भी सुविधा होगी। निगरानी का दायरा सीमित होता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निगरानी के स्तर पर तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जबकि क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि की गई हो अथवा विधि की व्याख्या करने में भूल की गई हो। 8- उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद वर्ष 1997 से विचाराधीन है जो काफी पुराना हो चुका है। इसलिये विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का विधिअनुसार शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.02.2020 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सतीश चन्द्र गोदारा)** **सदस्य**	